

कार्यालय आदेश सं० ५५/१४

श्री प्रदीप कुमार, सीसेई/सिगनल वाराणसी के विरुद्ध वर्ष 2010 में जारी लघु दण्ड एनआईपी स० सि/जेड/वारा/एस.एफ-11/09 दिनांक 15.04.2010 को पुनरीक्षा अधिकारी अमरेप्र/वारा. महोदय द्वारा डब्लू.आई.टी 3 माह का आदेश दिया गया था। किन्तु डब्लू.आई.टी 3 माह सेवापुस्तिका में प्रभावी नहीं हो पाया। वर्तमान में डब्लू.आई.टी 3 माह प्रभावी कर वेतन में निम्नवत संशोधन किया जाता है।

पूर्व वेतन	दिनांक	संशोधित वेतन	दिनांक
17610+4600 = 22210	01.07.2009		01.07.2009
18280+4600 = 22880	01.07.2010	WIT 3 माह दिनांक 15.04.2010 (01.07.10 से 30.09.2010 तक)	
		18280+4600 = 22880	01.10.2010
18970+4600 = 23570	01.07.2011	18970+4600 = 23570	01.07.2011
19680+4600 = 24280	01.07.2012	19680+4600 = 24280	01.07.2012
20410+4600 = 25010	01.07.2013	20410+4600 = 25010	01.07.2013
21160+4600 = 25760	01.07.2014	21160+4600 = 25760	01.07.2014
21940+4600 = 26540	01.07.2015	21940+4600 = 26540	01.07.2015
70000	01.01.16	70000	01.01.2016
72100	01.07.16	72100	01.07.2016

सहायक कार्मिक अधिकारी
वाराणसी
दिनांक 21-06-17

सं. का/सिग/पीसी/प्रदीप कुमार/सीसेई/सिग

प्रतिलिपी:-

1. बमसिदुई/मंसिदुई/वारा.।
2. बमविप्र./वारा.
3. सीसेई/सिग/वाराणसी, बिल अनुभाग/वारा. संबंधित कर्मचारी।
4. मंडल मंत्री नरमू/अजा./अजजा.एसो./वारा.।
5. कार्याधी एमपीपी सेल।

सहायक कार्मिक अधिकारी
वाराणसी